

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 4297/सम्पदा/24

भोपाल, दिनांक 26/09/2024

विभिन्न आकार के भूखण्डों हेतु विज्ञापन ऑफर आमंत्रण


प्राधिकरण की एयरसिटी फेस-1, योजना में विभिन्न सेक्टरों के रिक्त 27 भूखण्डों का व्ययन निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 24-9-24 से दिनांक 14-10-24 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 15-10-24 को खोले जायेंगे।

क्र०	भूखण्ड/ इकाई का विवरण	भूखण्डों/ इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी० प्रति भूखण्ड	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/ इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	पंजीयन राशि (धरोहर राशि)
1	2	3	4	5	6	7
आवासीय सामान्य भूखण्ड - 6.00 मी. चौड़ी सड़क पर						
1	HL-159, JL-234, JL-235,	आवासीय	55.75	सामान्य	9,95,138 /-	99,514 /-
आवासीय सामान्य भूखण्ड - 7.50 मी. चौड़ी सड़क पर						
2	K-90, K-171, K-261	आवासीय	135.00	अनु. जनजाति	24,09,750 /-	2,40,975 /-
3	K-89	आवासीय	135.00	अनु.जाति	24,09,750 /-	2,40,975 /-
4	K-166	आवासीय	135.00	विकलांग	24,09,750 /-	2,40,975 /-
5	K-170	आवासीय	135.00	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	24,09,750 /-	2,40,975 /-
6	K-164, K-165, K-167, K-168, K-260	आवासीय	135.00	सामान्य	24,09,750 /-	2,40,975 /-
आवासीय सामान्य भूखण्ड - 7.50 मी. चौड़ी सड़क पर(पार्क फेसिंग)						
7	K-197	आवासीय	135.00	अनु.जाति	26,50,725 /-	2,65,073 /-
8	K-189, K-196	आवासीय	135.00	सामान्य	26,50,725 /-	2,65,073 /-
9	K-188	आवासीय	135.00	पत्रकार	26,50,725 /-	2,65,073 /-

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद् में 24 माह की राशि अग्रिम आधिपत्य के पूर्व पृथक से देय होगी।
4. सम्पत्ति भू-स्वामी अधिकार पर विक्रय हेतु है।

5. अन्य टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी ।
6. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौत कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 90 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा ।
8. शेष राशि प्राधिकरण द्वारा समय पर मांग पत्र अनुसार देय होगी ।
9. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा ।
10. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे ।
11. सभी भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है ।
12. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है । भूखण्डों का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
13. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी ।
14. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा ।
15. ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें नियत मूल्य पर कोई सम्पत्ति अन्तरित की गई हो तत्संबंधी नियम के अन्तर्गत उसी योजना में किसी सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी । यदि प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्रस्ताव निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा ।
16. आरक्षित श्रेणी के भूखण्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी का जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अन्यथा आवेदन निरस्त कर जमा पंजीयन राशि राजसात कर ली जावेगी । स्वतंत्रता सेनानीयों/लोकतंत्र सेनानीयों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे ।



सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें ।

- 1-श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0-8770234380
- 2-श्री राकेश नामदेव (सहा0यंत्री) मो0-9425379079